झारखण्ड उच्च न्यायालय,रांची

सिविल रिट संख्या 3346/2020

अनिंदिता स्टील्स लिमिटेड कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित कई सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी, कार्यालय- 603, पंचवटी टॉवर, रियर ब्लॉक, 6 वीं मंजिल, हरमू रोड, थाना- अरगोडा, डाकघर- हरमू, रांची-834001, झारखंड प्रतिनिधित्व निदेशक फिरोज अब्दी, पिता- स्वर्गीय वहाजुर रहमान अब्दी,उम्र- लगभग 56 वर्ष, विकास भवन, बरियातू रोड, रांची- डाकघर- रांची विश्वविद्यालय, थाना- बरियातु, जिला-रांची, झारखंड-834008।

....याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य, अपने सचिव के माध्यम से, खान और भूविज्ञान विभाग, झारखंड सरकार, योजना भवन, तीसरी मंजिल, डाकघर और थाना -डोरंडा, जिला-रांची, झारखंड;

2. उपायुक्त, पश्चिम सिंहभूम, चाईबासा, डाकघर- चाईबासा, थाना- सदर, जिला- पश्चिम सिंहभूम, झारखंड;

3. जिला खनन पदाधिकारी, पश्चिम सिंहभूम, चाईबासा, डाकघर- चाईबासा, थाना- सदर, जिला-पश्चिम सिंहभूम, झारखंड;

4.भारत सरकार, सचिव, खान और इस्पात मंत्रालय, शास्त्री भवन,डाकघर- शास्त्री भवन, थाना- संसद मार्ग, नई दिल्ली;

5. संयुक्त सचिव, खान मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, डाकघर- शास्त्री भवन, थाना- संसद मार्ग, नई दिल्ली।

.... प्रतिवादीगण

कोरम :माननीय न्यायमूर्ति श्री सुजीत नारायण प्रसाद

:माननीय न्यायमूर्ति श्री नवनीत कुमार

याचिकाकर्ता के लिए :श्री पाण्डेय नीरज राय,अधिवक्ता

भारतीय गणराज्य के लिए :श्री अनिल कुमार, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऑफ़ इंडिया

राज्य के लिए :श्री मोहन कुमर दुबे, एसी टू एजी

<u>मौखिक निर्णय</u>

<u>द्वारा, न्यायमूर्ति</u> सुजीत नारायण प्रसाद।

आदेश संख्या 12 :दिनांक 01/12/2023

1.रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत है जिसमें निम्नलिखित राहत की मांग की गई है:-

(क) सभी परिणामों के साथ जिला खनन पदाधिकारी, चाईबासा, (अनुलग्नक-11) द्वारा पारित पत्र संख्या 849 में निहित मांग का आदेश, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन में, अवैध, मनमाना और अधिकार क्षेत्र के बिना को रद्द कर दिया जाक और अलग कर दिया जाक;

(ख.) जिला खनन पदाधिकारी (अनुलग्नक-18) के दिनांक 03.05.2019 के बाद के आदेश को रद्द करना, जिसके तहत 14.6.2018 के आदेश में पुनरीक्षण/सुधार/पुनर्विचार किया गया है;

(ग.) पुनरीक्षण आवेदन सं. 07.07.2020 (अनुलग्नक-20) में पारित पुनरीक्षण आदेश को निरस्त/अपास्त करना। 6/(7)/2019/संयुक्त सचिव और पुनरीक्षण प्राधिकरण, खान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 2019 का आरसी-I। भारत की ओर से, इसे अवैध, मनमाना और वेड्सबरी अनुचितता से ग्रस्त मानते हुए;

(घ) अभियोग के अधीनता के दौरानः-

(i) विवादित आदेश के निष्पादन को निलंबित किया जाक

(ii) इसके अनुसरण में जारी किए गए कदम;

(iii) झारखंड के खनन विभाग के प्रत्यर्थी अधिकारियों को याचिकाकर्ता को पारगमन चालान जारी करने से रोकने या रोकने से रोका जाक; और

(iv) प्रत्यर्थियों को याचिकाकर्ता को खनन चालान जारी करने/जारी करने का निर्देश दिया जाक।

2. लिखित याचिका में किए गए अभिवचनों के अनुसार मामले के संक्षिप्त तथ्य, जिनकी गणना की गई है, नीचे पढ़े जाते हैं:-

याचिकाकर्ता ने झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में स्थित लौह अयस्क और मैंगनीज अयस्क के लिए खनन पट्टे के लिए आवेदन किया और उसे मंजूरी दी गई, जिसे परम्बलजोरी लौह और मैंगनीज अयस्क खदानों के रूप में जाना जाता है। यह अनुदान झारखंड राज्य सरकार द्वारा 18.08.2010 को 47.15 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद 116.50

कईड़ के बराबर किया गया था। पट्टा की अवधि शुरू में 30 वर्ष थी, जिसे खनिजों के कैप्टिव उपयोग के लिए खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 8 क (3) के तहत 12.01.2015 से संशोधित प्रावधान के अनुसार 50 वर्ष तक बढ़ा दिया गया।

3. याचिकाकर्ता के प्रतिनिधि की उपस्थिति में खान निरीक्षक द्वारा 29.07.2011 को याचिकाकर्ता के पट्टा क्षेत्र के सीमा-सीमांकन के संबंध में दिनांक 22.02.2011 के पट्टा विलेख के अनुसार निरीक्षण किया गया था। यह बताया गया था कि वन विभाग के स्तंभों के साथ जुड़े 46 स्तंभ हैं और सभी स्तंभ आधिकारिक मानचित्र के अनुसार पाक गए हैं।

4. याचिकाकर्ता ने 10.01.2013 को कार्यारंभ किया। पूरे खनन कार्य खम्भा संख्या 6 से 15 में किया गया है, जो अनुरूप और कवर अनुपात-पुरानी/पहले से मौजूद खदानें संख्या 1 से 5 तक का है।

5.याचिकाकर्ता की पीठ के पीछे याचिकाकर्ता की खदान में खान निरीक्षक, चाईबासा द्वारा 26.04.2018 को कथित रूप से मामले की जाँच की गई थी। 27.04.2018 को तैयार की गई निरीक्षण रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि सीमा स्तंभों का निरीक्षण किया गया था और खम्भा संख्या 1 से खम्भा संख्या 3 की स्थिति को डीजीपीकस सर्वेक्षण के अनुसार नहीं पाया गया है। पट्टा क्षेत्र के बाहर किसी भी खनन के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं बनाई गई थी।

6. 6. इसके बाद, याचिकाकर्ता के खनन पट्टा क्षेत्र के आसपास खान निरीक्षक द्वारा 12.05.2018 को कथित रूप से कई और निरीक्षण किया गया। निरीक्षण रिपोर्ट में यह आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता को प्राप्त लीज का खनन कार्य क्षेत्र के बाहर किया गया जो खम्भा संख्या 1 से 3 के बीच है। निरीक्षण रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि 12.05.2018 को लौह अयस्क खनन पट्टा क्षेत्र के पट्टा क्षेत्र के बाहर किए गए खनन कार्य के संबंध में चेन कैरियर के साथ अनुभागीय माप किया गया था। खुदाई में मिले खनिज की मात्रा 25000 क्यूबिक मीटर है (अनुमानित).

7. कमकमडी एंड आर अधिनियम की धारा 4 (1) और 4 (1) (क) के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है और यह टिप्पणी की गई है कि उक्त अनियमितताओं के आलोक में कार्रवाई करने के लिए आदेश पारित किया जा सकता है।

8. यह याचिकाकर्ता का आगे का मामला है कि दिनांक 12.05.2018 के निरीक्षण में खान निरीक्षक द्वारा कहीं भी सूचित नहीं किया गया था कि याचिकाकर्ता द्वारा पट्टे पर रखे गए क्षेत्र के बाहर कोई खनन कार्य किया जा रहा था। दर्ज किए गए माप के वास्तविक आंकड़ों का कोई उल्लेख नहीं है, यदि कोई हो, जिससे गड्ढे की लंबाई, चौड़ाईऔर ऊंचाई का तथाकथित "औसत" प्राप्त किया गया है, जो रिपोर्ट को निराधार और आधारहीन बनाता है। जिला खनन पदाधिकारी, चाईबासा द्वारा 14.05.2018 को कई कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 26.04.2018 को खान निरीक्षक ने याचिकाकर्ता के खनन पट्टा क्षेत्र का निरीक्षण किया और बताया कि पट्टा क्षेत्र के अंदर स्थापित बाउंड्री खम्भा संख्या1 से 3 स्थिति डीजीपीकसकस सर्वेक्षण के अनुसार नहीं पाई गई। उन्होंने आगे कहा कि 12.05.2018 को खान निरीक्षक ने फिर से याचिकाकर्ता द्वारा पट्टे के क्षेत्र से बाहर किए गए खनन कार्य का अनुभागीय मापन किया है, जिसके बाद यह बताया गया है कि खनन कार्य स्तंभ संख्या के बीच पट्टे के क्षेत्र के बाहर किया गया है। 1 से पिलर नं. 3. इसके बाद औसत आयामों और इस तरह से खनन की गई मात्रा की गणना के समान विवरण निर्धारित किए गए हैं, जैसा कि दिनांक 12.5.2018 की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। याचिकाकर्ता को 7 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया था कि याचिकाकर्ता से इस तरह निकाले गए खनिज की कीमत क्यों नहीं वसूल की जाक।

9. याचिकाकर्ता को उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया था। तथापि, कई पश्चातवर्ती अनुस्मारक दिनांक 23.5.2018 जारी किया गया था जिसमें जिला खनन पदाधिकारी ने दिनांक 14.5.2018 के पूर्व कारण बताओ नोटिस और दिनांक 27.4.2018 और 12.5.2018 की दो निरीक्षण रिपोर्टों का उल्लेख किया था, जिसमें पट्टा क्षेत्र के बाहर की गई गणना की मात्रा के सारांश के विरुद्ध याचिकाकर्ता का स्पष्टीकरण मांगा गया था।

10. याचिकाकर्ता, 1.6.2018 दिनांकित जिला खनन पदाधिकारी ने आरोपों से इनकार किया और दो तथाकथित निरीक्षण रिपोर्ट और मूल कारण बताओ नोटिस दिनांक 14.5.2018 की प्रतियां मांगी। याचिकाकर्ता ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार अवसर की मांग की।

11. इसके बाद, याचिकाकर्ता ने जिला खनन पदाधिकारी की 14.6.2018 की याचिका प्राप्त की, जिसके तहत यह आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता ने दिनांक 14.05.2018 के कारण

बताओ नोटिस या 23.5.2018 के अपने अनुस्मारक को कोई जवाब नहीं दिया था, और इससे यह स्पष्ट था कि याचिकाकर्ता का इस संबंध में कुछ भी कहना नहीं था। तदनुसार, खनिज के मूल्य के रूप में देय राशि रूपये 8,68,12,500/- 15 दिनों के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया गया था, अन्यथा वसूली के लिए कार्रवाई कानून के अनुसार की जाकगी।

12. याचिकाकर्ता, इसके बाद, जिला खनन पदाधिकारी, दिनांक 14.7.2018 को कई पत्र लिखा, जिसके तहत प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन 27.04.2018 के गैर-सेवा-दो निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर किया गया था और12.05.2018 और मूल कारण बताओ नोटिस दिनांक 14.5.2018।

13. प्रतिवादी जिला खनन पदाधिकारी द्वारा पपत्र संख्या 1016 दिनांक 02.08.2018 ने स्पष्ट रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन और सुनवाई के अवसर से इनकार को स्वीकार किया और इसलिए याचिकाकर्ता को अपने कार्यालय में 11.8.2018 को सुनवाई के लिए बुलाया।

14. तदनुसार, याचिकाकर्ता 11.08.2018 को सुनवाई के लिए पेश हुआ और दो निरीक्षण रिपोर्ट (दिनांक 26.4.2018 और 12.5.2018) प्रदान करने के लिए अपने पहले के अनुरोध को दोहराते हुए कई पत्र प्रस्तुत किया ताकि याचिकाकर्ता आरोपों का खंडन करने की स्थिति में हो सके।

15. पत्र संख्या 282/कम् तारीख 18.3.2019 जिला खनन पदाधिकारी ने अपनी पूर्व गलती की स्वीकृति को आगे बढ़ाते हुए दिनांक 27.04.2018 और 12.05.2018 की निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतियां प्रस्तुत करने की दिशा में कार्य किया।

16. याचिकाकर्ता ने 03.04.2019 के पत्र के माध्यम से यह कहते हुए जवाब दिया कि प्रस्तुत की गई सामग्रियों पर भी आरोपों को इस तथ्य के मद्देनजर खड़ा करने का कोई आधार नहीं था कि दो रिपोर्टों की सामग्री में विरोधाभास हैं और खान नियंत्रक, आईबीएम द्वारा अनुमोदित 23.09.2008 की सतह योजना से पता चला है कि पहले से मौजूद खदान का हिस्सा पट्टा क्षेत्र के बाहर था।

17. दिनांक 03.05.2019 के पत्र संख्या 413 द्वारा जिला खनन पदाधिकारी ने दिनांक 14.06.2018 के पूर्ववर्ती मांग पत्र में पुनरीक्षण/सुधार/पुनः विचार करने से इनकार करने का आदेश भेजा।

18. अस्वीकृति के उपरोक्त आदेश से व्यथित होने के कारण, याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार (मंत्रालय) के समक्ष जिला खनन पदाधिकारी द्वारा दिनांक 14.06.2018 और 03.05.2019 को पारित किए गए दोनों आदेशों को चुनौती देते हुए कई वैधानिक पुनरीक्षण दायर किया। 6/(7)/2019/2019 का आरसी-I।

19. उपरोक्त पुनरीक्षण की ऑनलाइन सुनवाई की गई और पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा दिनांक 07.07.2020 को पारित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया

20. पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा पूर्व निर्धारित आदेश के विरुद्ध, तत्काल लिखित याचिका दायर की गई है।

21. यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि लौह अयस्क और मैंगनीज अयस्क के लिए खनन पट्टा पश्चिम सिंहभूम जिले में रिट याचिकाकर्ता के पक्ष में दिया गया था, जिसे 18.08.2010 को राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार परम्बलजोरी लौह और मैंगनीज अयस्क खान के रूप में जाना जाता है।

22. केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति भी 15.05.2007 को दी गई थी, 22.02.2011 को 47.15 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 116.50 कईड़ के बराबर की खाद ली गई थी। पट्टा की अवधि शुरू में 30 वर्षों के लिए थी जिसे बाद में खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 8 क (3) के तहत निहित वैधानिक प्रावधान के अनुसार 50 वर्षों तक बढ़ा दिया गया था।

23. रिट याचिकाकर्ता ने खनन कार्य शुरू कर दिया है। लेकिन बाद में कई निरीक्षण पर कहा गया कि खान निरीक्षक द्वारा 24.07.2018 को चेन कैरियर की मदद से आयोजित किया गया था, जिसके तहत और जिसके तहत यह पाया गया था कि लीज के नियमों और शर्तों के अनुरूप खनन कार्य किया गया था, क्योंकि, यह निरीक्षण का कोर्स था, क्योंकि खनन कार्य लीज होल्ड क्षेत्र से परे किया गया था।

24. उक्त रिपोर्ट जिला खनन पदाधिकारी, चाईबासा के समक्ष रखी गई थी, जिन्होंने उक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर, 14.05.2018 को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसमें रिट याचिकाकर्ता से 07 दिनों की अवधि के भीतर जवाब देने के लिए कहा गया है कि लीज

होल्ड क्षेत्र के ऊपर और ऊपर की अतिरिक्त भूमि पर खनन संचालन के कारण अतिरिक्त राशि क्यों नहीं वसूल की जाक। इसके बाद 23.05.2018 को कई अनुस्मारक भी दिया गया।

25. लिखित याचिकाकर्ता ने 01.06.2018 को कई संचार करते हुए कहा कि प्रासंगिक रिपोर्ट प्रदान की जा सकती है ताकि याचिकाकर्ता उचित स्पष्टीकरण दे सके।

26. जिला खनन पदाधिकारी ने 14.06.2018 को नोटिस जारी कर याचिका दायर करने वाले से 15 दिनों की अवधि के भीतर जमा करने के लिए रूपये 8,68,12,500.00 की जमा राशि मांगी है अन्यथा कानून के अनुसार कार्रवाई कि जाकगीले।

27. रिट याचिकाकर्ता ने निरीक्षण रिपोर्ट के अभाव में दिनांक 14.07.2018 के अपने उत्तर के माध्यम से जवाब दिया है, जिसमें यह कहा गया है कि दिनांक 14.06.2018 के आदेश के अनुसार भुगतान की जाने वाली राशि के निष्कर्ष पर आने से पहले, सुनवाई का प्रभावी अवसर लिखित याचिकाकर्ता के लिए कभी भी सुरक्षित नहीं था।

28. जिला खनन पदाधिकारी ने इस पर उपरोक्त गैर-आपूर्ति निरीक्षण रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है, जिसे उनके द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन माना गया है और इसलिए 11.08.2018 को संबंधित दस्तावेजों के साथ बचाव पेश करने का अवसर दिया गया था।

29. याचिकाकर्ता ने आवश्यक दस्तावेज और उसके बाद जिला खनन पदाधिकारी को प्रस्तुत करते हुए, दस्तावेजों और रक्षा पर विचार करने पर, 03.05.2019 को कई आदेश पारित किया है, जिसके द्वारा रुपये 8,68,12,500/- की राशि की गणना की गई थी, जैसा कि दिनांक 14.06.2018 की मांग के अनुसार गणना की गई थी, ने उक्त निर्णय में पुनरीक्षण/सुधार/समीक्षा करने से इनकार कर दिया है।

30. याचिकाकर्ता ने, उक्त आदेश के साथ, एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 30 के तहत प्रदान किए गए पुनरीक्षण प्राधिकरण के समक्ष पुनरीक्षण को प्राथमिकता दी है

31. परिष्करण प्राधिकरण ने अनुच्छेद 6 में दो मुद्दे तैयार किए जो इस प्रकार हैं:-

6 (क) क्या पट्टा क्षेत्र में खनन निरीक्षक द्वारा किया गया निरीक्षण उचित था?

6 (ख) क्या पट्टा क्षेत्र से परे अवैध खनन का संचालन किया गया है?

32. यह रिट याचिकाकर्ता का मामला है कि हालांकि दो मुद्दे तैयार किए गए हैं, लेकिन मुद्दा संख्या 6 (क) का जवाब इस निष्कर्ष पर आकर दिया गया है कि सुनवाई का उचित अवसर दिया गया था।

33. जहाँ तक मुद्दा संख्या 6(ख) से संबंधित है, उक्त मुद्दे का कोई उचित उत्तर नहीं है क्योंकि रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि मौजूदा खनन-पट्टा समझौते के निकटवर्ती क्षेत्र में स्तंभ नं 1 से 3 सतह योजना को भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) द्वारा 23.09.2008 को अनुमोदित किया गया है, लेकिन इस मुद्दे संख्या 6 (बी) का उत्तर देते समय इस निष्कर्ष पर नहीं आया है कि रिट याचिकाकर्ता वास्तव में पट्टा क्षेत्र से परे अवैध खनन में शामिल था।
34. यह तर्क दिया गया है कि यहां तक कि मुद्दा संख्या 6 (क) का भी गलत जवाब दिया गया है क्योंकि निरीक्षण रिपोर्ट रिट याचिकाकर्ता को कभी नहीं दी गई है और इसे जिला खनन पदाधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और यही कारण है कि 11.08.2018 को कार्यवाही में भाग लेने का अवसर दिया गया था।

35. रिट याचिकाकर्ता ने 1.08.2018 को कार्यवाही में भाग लिया था, लेकिन जिला खनन पदाधिकारी ने मांग को सुधारने से इनकार कर दिया, जैसा कि दिनांक 14.06.2018 की मांग के अनुसार उठाया गया था, इस प्रकार, पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है।

36. इसके विपरीत, श्री मोहन कुमार दुबे, विद्वान, एसी टू एजी, ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के गैर-पालन के आधार पर और प्रासंगिक दस्तावेजों की गैर-आपूर्ति के आधार पर रिट याचिकाकर्ता की ओर से की गई प्रस्तुति का जोरदार विरोध किया है और अपने तर्क को प्रमाणित करने के लिए, जिसके लिए उन्होंने रिट याचिकाकर्ता द्वारा संलग्न दस्तावेजों को

संदर्भित किया है, जो जिला खनन पदाधिकारी को संबोधित याचिकाकर्ता की ओर से लिखित संचार दिनांक 11.04.2019 जिसमें रिट याचिकाकर्ता ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि आवश्यक दस्तावेज पहले ही प्रस्तुत किए जा चुके हैं। इसमें आगे कहा गया है कि पट्टा क्षेत्र के बाहर उनके द्वारा कोई अवैध खनन नहीं किया गया है, क्योंकि उक्त खदान पुरानी खदान है, जिसका उल्लेख आईबीएम अनुमोदन पत्र दिनांक 23.09.2008 में किया गया है और सतह योजना को खान नियंत्रक द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है (सेंट्रल जोन)।

37. इसलिए, प्रस्तुत किया गया है कि जब रिट याचिकाकर्ता के अनुसार दस्तावेज स्वयं जिला खनन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे, तो अब उनके लिए यह आधार लेना उपलब्ध नहीं है कि दस्तावेज, निरीक्षण रिपोर्ट की आपूर्ति नहीं की गई है।

38. इसके अलावा, जिला खनन पदाधिकारी, चाईबासा के हस्ताक्षर के तहत दिनांक 18.03.2019 को जारी किए गए संचार का संदर्भ भी रिट याचिकाकर्ता को संबोधित किया गया है, जिसके तहत और जहां दिनांक 27.10.2018 की निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति के साथ दिनांक 27.04.2018 की माप रिपोर्ट को उक्त राशि जमा करने के निर्देश के साथ भेजा गया है।

39.राज्य के विद्वान् अधिवक्ता ने, उपरोक्त आधार पर, प्रस्तुत किया है कि यह नहीं कहा जा सकता है कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के उल्लंघन का मामला है।

40. इसके अलावा, इन शर्तों के तहत यह निर्णय लिया गया है कि किस प्रकार और जिसके तहत पुनरीक्षण प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि खनन संचालन पट्टा धारण क्षेत्र से परे किया गया था, इसलिए, पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश त्रुटि से ग्रस्त नहीं है।

41. श्री अनिल कुमार, भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, भारत के प्रतिवादी संघ की ओर से पेश हुए और राज्य के संस्करण का समर्थन किया है।

42. हमने पक्षों के विद्वान् अधिवक्ताओं को सुना, रिट याचिका में की गई दलीलों के साथ-साथ संलग्न दस्तावेजों और पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश का अध्ययन किया।

43. दिनांक 14.06.2018 की मांग का आक्षेपित आदेश दो आधारों पर अवैधता से ग्रस्त है, जो:

(i) इसके बाद से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति रिट याचिकाकर्ता को कभी नहीं दी गई है।

(ii) जिला खनन पदाधिकारी द्वारा स्वीकृति पर निरीक्षण रिपोर्ट प्रदान किए जाने के बाद कि निरीक्षण रिपोर्ट की गैर-आपूर्ति प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के बराबर है, लेकिन फिर भी 14.06.2018 को की गई रुपये 8,68,12,500/- की मांग पर पुनर्विचार करने के लिए कहा गया है जिसे एक वाक्य में ख़ारिज कर दिया गया यह कहते हुए कि मांग में पुनरीक्षण और सुधर करना कानून के मुताबिक सही नहीं होगा।

44. आईबीएम रिपोर्ट को पहले ही इस तथ्य के संबंध में संदर्भित किया गया है कि लीज होल्ड क्षेत्र से सटे पुरानी खदान चल रही है, लेकिन इस पर कोई विचार नहीं किया गया है, क्योंकि इस आशय का कोई आदेश किसी भी तरह से पारित नहीं किया गया है।

45. इन सभी बिंदुओं को वैधानिक पुनरीक्षण प्राधिकरण के समक्ष उठाया गया है, लेकिन पुनरीक्षण प्राधिकरण ने भी सही परिप्रेक्ष्य में तथ्यात्मक पहलू की सराहना नहीं की है।

46. पुनरीक्षण प्राधिकरण ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया है कि कई बार जिला खनन पदाधिकारी ने निरीक्षण रिपोर्ट की आपूर्ति नहीं करके प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के उल्लंघन के तथ्य को स्वीकार कर लिया है और उसके बाद जब निरीक्षण रिपोर्ट की आपूर्ति की गई है, तो यह जिला खनन पदाधिकारी का बाध्य कर्तव्य था कि वह इस तरह से उठाई गई मांग पर पुनर्विचार करे।

47. इसके अलावा, निकटवर्ती क्षेत्रों में खनन के संचालन के बारे में तथ्य को आईबीएम द्वारा अनुमोदित किया गया है और इस बारे में विचार किया गया है कि इस मुद्दे को मुद्दा संख्या 6(ख) के रूप में तैयार किया गया है।

48. हालाँकि, राज्य के विद्वान् अधिवक्ता ने जिला खनन पदाधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय का बचाव करने का प्रयास किया है, क्योंकि भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश का बचाव किया है।

49. हम, ऊपर उल्लिखित प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों के आधार पर मुद्दों पर विचार करने के उद्देश्य से, अब तथ्यात्मक पहलू की जांच करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं कि क्या-

(i) कि यहाँ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है?

(ii) जिला खनन पदाधिकारी ने 03.05.2019 को इस आधार पर पहले से उठाई गई मांग पर पुनर्विचार करने से इनकार करते हुए आदेश पारित किया कि यह कानून के अनुसार नहीं होगा जब उसने स्वयं इस तथ्य को स्वीकार किया है कि निरीक्षण रिपोर्ट की आपूर्ति नहीं की गई थी, इसलिए यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है?

(iii) पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचने में पारित आदेश कि मुद्दा संख्या 6 (क) का उत्तर देते समय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, को सही कहा जा सकता है?

(iv) मुद्दा संख्या 6 (ख) का उत्तर देते हुए पुनरीक्षण प्राधिकरण का आदेश बिना किसी सुधार के दिया जा सकता है।आईबीएम के अनुमोदन के अनुसार पट्टा धारक क्षेत्र के निकटवर्ती भूखंड में खनन क्षेत्र के तथ्य-संचालन के संबंध में कोई निष्कर्ष देना?

50. ये सभी मुद्दे एक दुसरे मुद्दे से जुड़े हुए हैं, इसलिए, इन मुद्दों पर एक साथ विचार किया जा रहा है और जवाब दिया जा रहा है।

51. प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन तभी किया जा सकता है जब संबंधित पक्ष को पर्याप्त और पर्याप्त अवसर दिया जा रहा हो, जिसके खिलाफ प्रतिकूल निर्णय लिया जाना है।

52. इस सिद्धांत को सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिकूल निर्णय लेने से पहले पालन किया जाने वाला कार्डिनल सिद्धांत कहा जाता है, भले ही कोई वैधानिक जनादेश नहीं है जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा भारत की मेनका गांधी बनाम भारतीय गणराज्य (1978) 1 SCC 248 के मामले में रिपोर्ट किया गया है, जो एक ऐसा मामला है जहां भारतीय पासपोर्ट अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा 3 की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि पासपोर्ट को जब्त करने से पहले, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन किया जाना है,

लेकिन भारतीय पासपोर्ट अधिनियम की धारा 10 के प्रावधान के तहत उस प्रभाव के लिए कोई शर्त नहीं है।

53. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हालांकि उक्त प्रावधान को अमान्य नहीं किया है, लेकिन कई प्रस्ताव रखा गया है कि कानून में किसी भी वैधानिक प्रावधान के अभाव में भी, निर्णय लेने से पहले प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करना कार्डिनल सिद्धांत है। इस सिद्धांत के आधार पर कि किसी व्यक्ति को अवसर प्रदान किए बिना उसकी निंदा नहीं की जा सकती है, उपरोक्त निर्णय के प्रासंगिक अनुच्छेद को नीचे इस प्रकार संदर्भित किया जा रहा हैः-

"9.... इस प्रकार, प्राकृतिक न्याय की आत्मा "निष्पक्षता" है और यही कारण है कि इसे पूरे लोकतांत्रिक विश्व में व्यापक मान्यता मिली है। संयुक्त राज्य अमेरिका में, प्रशासनिक सुनवाई के अधिकार को मौलिक निष्पक्षता की आवश्यक आवश्यकता माना जाता है। और इंग्लैंड में भी यह माना गया है कि "कार्रवाई में निष्पक्षता" की मांग है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई पूर्वाग्रहपूर्ण या प्रतिकूल कार्रवाई करने से पहले, उसे सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए..."

54. इसके अलावा, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को अनौपचारिकता नहीं कहा जा सकता है, बल्कि इसका पालन करने की आवश्यकता है प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत पर्याप्त और पर्याप्त अवसर प्रदान करने के लिए है जिसका पालन केवल तभी किया जा सकता है जब आरोप/आरोप प्रासंगिक दस्तावेजों द्वारा समर्थित हों/हों ताकि संबंधित, जिसे जवाब देना है, तथ्यात्मक पहलू और उन दस्तावेजों को जान सके जिन पर आरोप आधारित हैं।

55. यदि कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है, लेकिन कारण बताओ नोटिस जारी करने का हर आधार प्रदान नहीं किया जा रहा है, तो उस स्थिति में इसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन नहीं कहा जा सकता है ताकि संबंधित को पर्याप्त और पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा सके।

56. यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित है और इस पर वास्तविक रूप से विचार किया जाता है तथ्यात्मक पहलू आदेश की आत्मा है और यदि कारण अनुपस्थित है, तो भी इसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन कहा जाएगा, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा

राजकिशोर झा बनाम बिहार राज्य और अन्य के मामले में (2003) 11 एससीसी 519 में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 19 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि सभी निष्कर्षों के लिए तर्कपूर्ण हृदय और उसके बिना, यह निर्जीव हो जाता है। तैयार संदर्भ के लिए, उपरोक्त निर्णय के प्रासंगिक अनुच्छेद को उद्धृत किया जा रहा है और इसे नीचे इस प्रकार संदर्भित किया गया हैः-

"19. इस मामले से अलग होने से पहेल, हम यह इंगित करने के लिए आवश्यक समझते हैं कि अपीलीय अदालतों द्वारा गैर-तर्कपूर्ण निष्कर्ष उचित नहीं हैं, तो, जब निचली अदालत के विचारों से अलग कर रहे हैं लगता है। सहमति के मामले में, कारणों को फिर से दोहराने की आवश्यकता नहीं हो सकती है। उलटफेर के मामले में ऐसा नहीं है। कारण प्रत्येक निष्कर्ष की दिल की धड़कन है। इसके बिना, यह निर्जीव हो जाता है"।

57. इसके अलावा, क्रांति एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम मसूद अहमद खान और अन्य के मामले में रिपोर्ट (2010) 9SCC496 जहां अनुच्छेद 47 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि कारण वस्तुतः न्यायिक, अर्ध-न्यायिक और यहां तक कि प्रशासनिक निकायों द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने के रूप में निर्णय लेने की प्रक्रिया का कई अनिवार्य घटक बन गए हैं। प्रासंगिक अनुच्छेद को उद्धृत किया गया है और नीचे इस प्रकार संदर्भित किया गया हैः-

47.....

(क).....

(ख).....

(ग).....

(घ).....

(ङ).....

(च) कारण वस्तुतः न्यायिक, अर्ध-न्यायिक और यहां तक कि प्रशासनिक निकायों द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने के रूप में निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक अनिवार्य घटक बन गए हैं।

..... "

58. इसके अलावा, यह संबंधित प्राधिकरण का बाध्यकारी कर्तव्य है जो यह तय करता है कि यदि कोई याचिका ली जा रही है, तो उसे अपने दिमाग को लागू करके किसी भी तरह से विचार किया जाना चाहिए। विचार का अर्थ केवल औपचारिकता नहीं है, बल्कि, यदि कोई दस्तावेज या पक्ष प्रतिरक्षा में लिया गया है, तो यह संबंधित प्राधिकारी का बाध्य कर्तव्य है कि वह चर्चा करे और इसे स्वीकार या अस्वीकार करते समय, इसे अच्छी तरह से निर्धारित कारण पर आधारित होना चाहिए, अन्यथा, इसे कानून की नजर में विचार नहीं कहा जा सकता है क्योंकि विचार का अर्थ मन का सक्रिय अनुप्रयोग है जिसे केवल तभी कहा जा सकता है जब संबंधित प्राधिकारी द्वारा दस्तावेज़/बचाव पर अच्छी तरह से विचार किया जाएगा, इस संबंध में संदर्भ अध्यक्ष, भारतीय जीवन बीमा निगम और अन्य बनाम ए. मसिलामानी के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के लिए किया जाए जो (2013) 6 एससीसी में रिपोर्टेड है इस प्रकार, वैधानिक प्राधिकरण द्वारा राय के गठन में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के संदर्भ में विवेक के गहन अनुप्रयोग को प्रतिबिंबित करना चाहिए। उपरोक्त निर्णय के प्रासंगिक अनुच्छेद को उद्धृत और संदर्भित किया जा रहा है:-

"19. शब्द “विचार” महान महत्व का है। उसी का शब्दकोश अर्थ है, "सोचने के लिए", "के रूप में माना जाना", या "माना जाना"। इसलिए, इस प्रभाव का कई स्पष्ट अर्थ है कि मन का सक्रिय अनुप्रयोग होना चाहिए । दूसरे शब्दों में, "विचार" शब्द किसी मामले के सभी प्रासंगिक पहलुओं पर विचार करने का प्रतिपादन करता है। इस प्रकार, वैधानिक प्राधिकरण द्वारा राय के गठन में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के संदर्भ में विवेक के गहन अनुप्रयोग को प्रतिबिंबित करना चाहिए । प्राधिकरण के आदेश को ही इस तरह के मन के अनुप्रयोग को प्रकट करना चाहिए । अपीलीय प्राधिकरण केवल अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा नियोजित भाषा को नहीं अपना सकता है और अपने आदेश की पुष्टि करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकता है।“

59. हम अब प्राकृतिक न्याय और गैर-विचार-संबंधित दस्तावेजों के सिद्धांतों के उल्लंघन के मुद्दों/आधारों की जांच करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं।

60. यह मुद्दा उठाया गया है कि हालांकि कारण बताओ नोटिस 12.05.2018 को किए गए निरीक्षण के आधार पर 14.05.2018 को जारी किया गया था।

61. हमने उक्त कारण बताओ पर विचार किया है, लेकिन हमने पाया है कि निरीक्षण रिपोर्ट के साथ कोई शिकायत नहीं की गई है, जो रिट याचिकाकर्ता को एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 4 (1) और 4 (1) (क) और एमएमडीआर नियमों के नियम 21 के प्रावधानों का उल्लंघन करने की मांग का आधार है। इसका अर्थ है निरीक्षण रिपोर्ट में वैधानिक उल्लंघन का आधार।

62. विवाद जो बढ़ा दिया गया है की निरीक्षण रिपोर्ट कभी नहीं दी गई है, दिनांक 02.08.2018 के जिला खनन पदाधिकारी के हस्ताक्षर के तहत जारी किए गए संचार से स्पष्ट है और जिसके तहत जिला खनन पदाधिकारी ने स्वीकार किया है कि निरीक्षण रिपोर्ट की गैर-आपूर्ति प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है और इसलिए, 11.08.2018 को जिला खनन पदाधिकारी के सामने पेश होने का अवसर दिया गया था, लेकिन बहुत आश्चर्यजनक रूप से, इससे पहले ही जिला खनन पदाधिकारी द्वारा 14.06.2018 को रुपये 8,68,12,500/- की कास्टिंग देयता का निर्णय लिया गया था।

63. याचिकाकर्ता ने दिनांक 18.03.2019 के कवर लेटर के अनुसार निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति को भूल जाने के बाद, जिला खनन पदाधिकारी से इस तरह की मांग पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया था, लेकिन जिला खनन पदाधिकारी ने 03.05.2019 को कई आदेश पारित करके उक्त अनुरोध को स्वीकार नहीं किया है और जिसके तहत आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि यह 14.06.2018 के आदेश के अनुसार रुपये 8,68,12,500/- के कास्टिंग देयता के इस तरह लिए गए निर्णय में पुनरीक्षण/सुधार/समीक्षा करने के लिए कानून के अनुसार नहीं होगा।

64. एमएमडीआर एक्ट, 1957 की धारा 30 के तहत लिखित कानूनी पुनरीक्षण प्रदान किया गया है।

65. पुनरीक्षण प्राधिकरण को आरोपित आदेश के उपरोक्त प्रावधान और उपयुक्तता के तहत शक्ति मिली है।तदनुसार, पुनरीक्षण प्राधिकरण अनुच्छेद 6, जो 6 (क) के तहत दो मुद्दों को आगे बढ़ाया और तैयार किया है कि क्या पट्टा क्षेत्र में खनन निरीक्षक द्वारा किया गया निरीक्षण उचित था? और 6 (ख) क्या पुनरीक्षणवादी ने वास्तव में पट्टा क्षेत्र से परे अवैध खनन किया था?

66 .मुद्दा संख्या 6 (क) ने अनुच्छेद 7 (ii) के तहत जवाब दिया है जिसके तहत और जिसके तहत पुनरीक्षण प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन किया गया है क्योंकि रिट याचिकाकर्ता को 11.08.2018 को सुनवाई के लिए उपस्थित होने का अवसर देकर सुनवाई का अवसर दिया गया था और फिर से सुनवाई 11.04.2019 के लिए निर्धारित की गई थी।

67. लेकिन जब जिला खनन पदाधिकारी द्वारा रिट याचिकाकर्ता को 11.08.2018 को और 11.04.2019 को फिर से उपस्थित होने के लिए सुनवाई का अवसर दिया गया था, तो पुनर्विचार कहां है, बल्कि योग्यता पर विचार किए बिना, इस निष्कर्ष पर आकर कानून के अनुसार नहीं कहा गया है कि पहले से ही गणना की गई मांग दिनांक 14.06.2018 को संचार द्वारा संशोधित/संशोधित/समीक्षा नहीं की जा सकती है।

68. सवाल यह है कि जब जिला खनन अधिकारी ने केवल बचाव का प्रभावी अवसर प्रदान करने के लिए निरीक्षण रिपोर्ट के महत्व को स्वीकार करते हुए निर्णय लिया है और तदनुसार, रिट याचिकाकर्ता उपस्थित हुआ था और अपना बचाव करने की कोशिश की।

69. लेकिन जिला खनन पदाधिकारी ने अत्यधिक मनमाने और अवैध तरीके से, बिना कोई कारण बताए पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया है, बल्कि, उक्त अनुरोध को अस्वीकार करने में कारण सौंपा गया है कि इसे कानून के अनुसार नहीं कहा जा सकता है।

70. प्रश्न यह है कि जब जिला खनन पदाधिकारी ने स्वयं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन किया है और इसके परिणामस्वरूप जब दस्तावेजों को आपूर्ति करने का निर्देश दिया

गया था और तदनुसार दस्तावेज़, जो निरीक्षण रिपोर्ट की आपूर्ति की गई थी, तो यह जिला खनन पदाधिकारी का कर्तव्य था कि वह निरीक्षण रिपोर्ट, पर ध्यान देकर पुनर्विचार करे और कई नया आदेश पारित करे, यह कहने के बजाय योग्यता पर चर्चा की जानी चाहिए कि यह उचित नहीं होगा और कानून के अनुसार 14.06.2018 को लिए गए निर्णय में पुनरीक्षण या सुधार या समीक्षा करने के लिए।

71. लेकिन पुनरीक्षण प्राधिकरण ने उपरोक्त तथ्य की सराहना नहीं की, बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के पालन के निष्कर्ष पर केवल इस आधार पर पहुंचा है कि सुनवाई का अवसर 11.08.2018 को और बाद में 11.04.2019 को तारीखें निर्धारित करके दिया गया था।

72. पुनरीक्षण प्राधिकरण को उस कर्तव्य पर विचार करने के लिए, जो जिला खनन पदाधिकारी द्वारा लगाया जाना था किसी भी तरह से रिपोर्ट करना।

73. अतः हमारा यह मत है कि जो प्रश्न संख्या 6 (क) दिया गया है, उसका उत्तर ठोस और उचित नहीं कहा जा सकता।

74. मुद्दा संख्या 6 (ख) जो, के रूप में क्या पुनरीक्षणवादी वास्तव में लीज क्षेत्र से परे अवैध खनन का संचालन किया, हमारे विचार के अनुसार, भी ठोस तर्क पर आधारित नहीं है क्योंकि रिट याचिकाकर्ता ने 23.09.2008 को अनुमोदित आईबीएम की स्वीकृत सतह योजना के अनुसार अपने लीज होल्ड क्षेत्र का आधार लिया है।

75. पुनरीक्षण प्राधिकरण ने इस पर ध्यान दिया है, लेकिन अवैध खनन के मुद्दे के संबंध में मुद्दा संख्या 6 (ख) का जवाब देते समय, अनुमोदित आईबीएम योजना पर कोई विचार नहीं किया गया है, बल्कि, पुनरीक्षण प्राधिकरण ने केवल उक्त मुद्दे के जवाब को आधार बनाया है कि राज्य सरकार ने क्षेत्र के निरीक्षण, कारण बताओ नोटिस जारी करने और पुनरीक्षणवादी को सुनवाई के अवसर जैसी सभी औपचारिकताओं का पालन किया था।

76. मुद्दा संख्या 6 (ख) का उत्तर हमारे सुविचारित दृष्टिकोण के अनुसार, न्यायसंगत और उचित नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि केवल कारण बताओ नोटिस जारी करने की औपचारिकता

को पूरा करने से ऊपर उल्लिखित निर्णयों के आधार पर ऊपर की गई चर्चा के अनुसार प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का प्रभावी अनुपालन नहीं कहा जा सकता है।

77. इसके अलावा, यदि कारण के साथ कोई दस्तावेज दाखिल किया जाता है, तो उसी पर किसी भी तरह से विचार किया जाना आवश्यक है।गैर-विचार प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के उल्लंघन के साथ-साथ सक्रिय मन के गैर-अनुप्रयोग के बराबर है।

78. उपर्युक्त चर्चा के आधार पर इस न्यायालय का विचार है कि पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश को उचित नहीं कहा जा सकता है।

79. तदनुसार, हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन इस न्यायालय को प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए सैयद याकूब बनाम के. एस. राधाकृष्णन और अन्य [एआईआर 1964 एससी 477] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए सिद्धांत पर निम्नलिखित अधिकार रखते हैं:-

"7. अनुच्छेद 226 के तहत प्रमाणपत्र की रिट जारी करने में उच्च न्यायालयों की अधिकारिता की सीमाओं के बारे में प्रश्न पर इस न्यायालय द्वारा अक्सर विचार किया गया है और उस ओर से वास्तविक कानूनी स्थिति अब संदेह में नहीं है। निचली अदालतों या न्यायाधिकरणों द्वारा की गई अधिकारिता की त्रुटियों को सुधारने के लिए प्रमाण पत्र का लेखन जारी किया जा सकता हैः ये ऐसे मामले हैं जहां आदेश निचली अदालतों या न्यायाधिकरणों द्वारा अधिकार क्षेत्र के बिना पारित किए जाते हैं, या इससे अधिक होते हैं, या अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में विफलता के परिणामस्वरूप होते हैं।समान रूप से वहां जारी किया जाए जहां न्यायालय या अधिकरण अपनी प्रदत्त अधिकारिता का प्रयोग करते हुए अवैध रूप से या उचित रूप से कार्य करता है, उदाहरण के लिए, यह आदेश द्वारा प्रभावित पक्ष को सुने जाने का अवसर दिए बिना किसी प्रश्न का निर्णय करता है, या जहां विवाद से निपटने में अपनाई गई प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। हालाँकि, इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक अधिकार क्षेत्र जारी करने का अधिकार क्षेत्र इसका प्रयोग करने वाला न्यायालय अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करने का हकदार नहीं है। इस सीमा का अनिवार्य रूप से यह अर्थ है कि साक्ष्य की सराहना के परिणामस्वरूप निचली अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा प्राप्त तथ्य के निष्कर्षों को रिट कार्यवाही में फिर से नहीं खोला जा सकता है या उन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। कानून की एक त्रुटि जो

रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट है, उसे एक रिट द्वारा ठीक किया जा सकता है, लेकिन तथ्य की त्रुटि नहीं, चाहे वह कितनी भी गंभीर प्रतीत हो। अधिकरण द्वारा अभिलिखित तथ्य के निष्कर्ष के संबंध में, प्रमाण-पत्र की रिट जारी की जा सकती है यदि यह दिखाया जाता है कि उक्त निष्कर्ष को अभिलिखित करने में अधिकरण ने गलती से स्वीकार्य और भौतिक साक्ष्य को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, या गलती से अस्वीकार्य साक्ष्य को स्वीकार किया था जिसने आक्षेपित निष्कर्ष को प्रभावित किया है। इसी तरह, यदि तथ्य का निष्कर्ष किसी साक्ष्य पर आधारित नहीं है, तो इसे कानून की त्रुटि माना जाएगा, जिसे प्रमाण पत्र के रिट द्वारा ठीक किया जा सकता है। तथापि, इस श्रेणी के मामलों से निपटने में, हमें सदैव यह ध्यान रखना चाहिए कि अधिकरण द्वारा अभिलिखित तथ्य के निष्कर्ष को इस आधार पर प्रत्यायोजन के रिट के लिए कार्यवाही में चुनौती नहीं दी जा सकती है कि अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत प्रासंगिक और भौतिक साक्ष्य आक्षेपित निष्कर्ष को बनाए रखने के लिए अपर्याप्त या अपर्याप्त था।एक बिंदु पर साक्ष्य की अपर्याप्तता और उक्त निष्कर्ष से तथ्य का निष्कर्ष निकालना न्यायाधिकरण के अनन्य अधिकार क्षेत्र के भीतर है, और उक्त बिंदुओं को रिट कोर्ट के समक्ष उत्तेजित नहीं किया जा सकता है। यह इन सीमाओं के भीतर है कि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को प्रमाण पत्र की रिट जारी करने के लिए प्रदत्त अधिकार क्षेत्र का वैध रूप से प्रयोग किया जा सकता है।"

80. हरि विष्णु कामथ बनाम सैयद अहमद इशाक और अन्य, (एआईआर 1955 एससी 233) में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, प्रमाणपत्र और शर्तों के रिट के चरित्र और दायरे के संबंध में, जो कि जारी किया जा सकता है, अनुच्छेद-21, जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा हैः -

"21. ....., निम्नलिखित प्रस्तावों को स्थापित के रूप में लिया जा सकता हैः (1) अधिकारिता की त्रुटियों को सुधारने के लिए प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जैसे कि जब कोई निचली अदालत अधिकार क्षेत्र से बाहर या उससे अधिक कार्य करती है, या इसका प्रयोग करने में विफल रहती है। (2) प्रमाणपत्र तब भी जारी किया जाएगा जब न्यायालय या अधिकरण अपनी निर्विवाद अधिकारिता का प्रयोग करते हुए अवैध रूप से कार्य करता है, जैसे कि जब वह पक्षों को सुनवाई का अवसर दिए बिना निर्णय लेता है, या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। (3) प्रमाणपत्र की रिट जारी करने वाला न्यायालय पर्यवेक्षी के प्रयोग में कार्य करता है न कि अपीलीय अधिकार क्षेत्र में। इसका एक परिणाम यह है कि न्यायालय निचली अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा प्राप्त तथ्यों के निष्कर्षों की समीक्षा नहीं करेगा, भले ही वे गलत हों। यह

इस सिद्धांत पर है कि जिस न्यायालय को किसी विषय-वस्तु पर अधिकारिता प्राप्त है, उसे गलत और सही दोनों निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र है, और जब विधायिका उस निर्णय के खिलाफ अपील करने का अधिकार प्रदान करने का विकल्प नहीं चुनती है, तो यह अपने उद्देश्य और नीति को विफल कर देगा, यदि कोई उच्चतर न्यायालय साक्ष्य के आधार पर मामले को फिर से दर्ज करता है, और अपने स्वयं के निष्कर्षों को प्रमाणपत्र में प्रतिस्थापित करता है। ये प्रस्ताव अच्छी तरह से तय किए गए हैं और विवाद में नहीं हैं।...."

81. तदनुसार, संशोधित आवेदन संख्या 6/(7)/2019/आरसी-2019 में दिनांक 07.07.2020 को पारित आदेश को रद्द करने और अलग करने के लिए उपयुक्त है।

82. यह आदेश दिनांक 07.07.2020 को आवेदन संख्या 6/(7)/2019/आरसी-2019 के संशोधन में पारित किया गया था को रद्द और अलग किया जाता है।

83. नतीजतन, हम अक्सर चीजों को देखते हैं पुनरीक्षण प्राधिकरण को नए सिरे से निर्णय लेने के लिए वापस पुनरीक्षण भेजा जाता है।

84. तदनुसार, पुनरीक्षण प्राधिकरण को पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद कानून के अनुसार नए सिरे से निर्णय लेने की अनुमति दी गई है।

85. इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर ऐसा निर्णय लिया जाए।

86. यह स्पष्ट किया जाता है कि जो भी मांग है, वह ऊपर निर्देशित पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा पारित किए जाने वाले आदेश के अंतिम परिणाम पर निर्भर करेगी।

87. तत्काल रिट याचिका का निपटारा कर दिया गया है।

88. नतीजतन, लंबित अंतर्वर्ती आवेदनों का भी निपटारा कर दिया जाता है।

(न्यायमूर्ति,सुजीत नारायण प्रसाद)

(न्यायमूर्ति, नवनीतकुमार)

यह अनुवाद पैनल अनुवादक मदन मोहन प्रिय द्वारा किया गया है ।